
न्यायालयः द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड(म.प्र.) (समक्षः मोहम्मद अज़हर)

नियमित व्यवहार अपील क.-19/15 <u>प्रस्तृति दिनांक 31.08.2015</u>



2. मदनलाल शर्मा पुत्र मातादीन शर्मा आयु करीब 44 वर्ष जाति ब्रह्म्ण निवासीगण ग्राम भगवासा, परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

...... अपीलार्थी / प्रतिवादीगण

विरूद्ध

1. रामजीलाल पुत्र नाथूराम आयु 62 वर्ष जाति ओझा (बढ़ई) निवासी ग्राम भगवासा परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

..... वादी / प्रत्यर्थी

2. म0प्र0 शासन द्वारा कलैक्टर जिला भिण्ड म0प्र0

......औपचारिक प्रत्यर्थी / प्रतिवादी कं0-03

न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) के न्यायालय के मूल व्यवहार वाद कुमांक 01ए /15 में घोषित निर्णय दिनांक 30.07.2015 से उद्भूत यह नियमित सिविल अपील।

X X अपीलार्थीगण द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता। प्रत्यर्थी क. 01 द्वारा श्री आर. सी. यादव अधिवक्ता। प्रत्यर्थी क्रमांक 02 अनु0, पूर्व से एकपक्षीय।

<u>निर्णय :-</u> (<u>आज दिनांक 13.09.2017 को घोषित)</u>

अपीलार्थी / प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील धारा-96 व्यवहार 1. प्रकिया संहिता के तहत न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) के मूल व्यवहार वाद कमांक 01ए/15 उनवान रामजीलाल बनाम राजेन्द्र प्रसाद एवं अन्य में घोषित निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.

07.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वादी/अपीलार्थी कमांक 01 रामजीलाल के द्वारा भूमि सर्वे कमांक 1121 रकवा 0.52 हैक्टे0 स्थित ग्राम भगवासा परगना गोहद के संबंध में प्रस्तुत किया गया स्थाई निषेधाज्ञा का वाद स्वीकार किया है और अपीलार्थीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की है।

- 2. विचारण न्यायालय के समक्ष वादी / प्रत्यर्थी के यह अभिवचन रहे है कि वे भूमि सर्वे कमांक 1121 रकवा 0.52 हेक्टे0 स्थित ग्राम भगवासा परगना गोहद जिला भिण्ड के रिकॉर्डेड भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है। यह भूमि प्रकरण में विवादित भूमि है जिसे आगे के पदों में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जाएगा। वादी के यह भी अभिवचन रहे हैं कि प्रतिवादीगण का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है। दिनांक 10.03.13 को वादी उक्त भूमि पर खेत पर सरसों की फसल देखने गया था, तो वहां पर प्रतिवादी कमांक 01 व 02 मिले तो प्रतिवादी कमांक 01 व 02 ने कहा कि तुम अपने इस खेत पर क्यों आए हो, तुम्हारे इस खेत पर हम खेती करेंगे। जिस पर से विरोध किए जाने पर वे झगड़ा करने को आमादा हुए। उक्त आधारों पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादी के पक्ष में विवादित भूमि के संबंध में वादी के कब्जे व काश्त में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न न करने और न कराने संबंधी स्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई।
- अपीलार्थी / प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की ओर से प्रतिवादपत्र 3. प्रस्तुत करते हुए वादी के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्ख्यान करते हुए यह अभिवचन किया गया कि वादी ने बंदोबस्त के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम का इंद्राज सर्वे क्रमांक 1121 पर गलत रूप से दर्ज करा लिया है। जिसकी दुरूस्ती राजस्व कार्यवाही न्यायालय में प्रकरण 52 / 2012-2013बी-121 पर संचालित है। वास्तव में सर्वे क्रमांक 1121 नक्शे में जिस स्थान पर बनाया गया है, वह भूमि प्रतिवादीगण के सर्वे कमांक 1460 की भूमि है, जिस पर प्रतिवादीगण का वास्तविक रूप से आधिपत्य है। वादी का विवादित भूमि पर आधिपत्य नहीं है। दिनांक 10.03.13 को कोई घटना नहीं हुई है। विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के द्वारा सरसों की फसल बोई गई थी और ली गई है।

- 4. अपीलार्थी / प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की ओर से यह भी अभिवचन किया गया है कि वादी ने प्रतिवादीगण से कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए धारा—250 म0प्र0 भू—राज्य संहिता के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्व न्यायालय तहसील गोहद के समक्ष दावा प्रस्तुत किया है, जो प्रकरण क्रमांक 05 / 2012—13 अ—70 पर संचालित है। ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय में प्रतिवादीगण से कब्जा वापसी की मांग कर रहे है और इधर न्यायालय में स्वयं का कब्जा बताते हुए डिकी चाह रहे है। दोनों की बातें एक दूसरे के विपरीत है। वादी ने गलत इंद्राज के आधार पर लाभ लेने के लिए प्रतिवादीगण को बेजा नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से गलत दावा प्रस्तुत किया है।
 - अपीलार्थी / प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की ओर से अतिरिक्त आपित्ति यह की गई है कि बंदोबस्त में पूर्व सर्वे क्रमांक 1610, 1611 रकवा 0.63 का वादी भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी था। इन दोनों सर्वे नंबर का बंदोबस्त के बाद नवीन सर्वे नंबर 1109 रकवा 0.63 एवं 1121 रकवा 0.52 वादी ने राजस्व निरीक्षक बंदोबस्त से मिलकर गलत रूप से नाम लिखवा लिए। जबिक वादी का रकवा पूर्व से ही मात्र तीन बीह्या तीन बिस्वा था। जो नवीन सर्वे नंबर 1109 रकवा 063 से ही पूरा हो गया है। 1121 जो नवीन सर्वे नंबर पर वादी का नाम लिखा गया है वह प्रतिवादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 1460 में से गलत रूप से बना दिया गया है। जब बादी का रकवा सर्वे क्रमांक 1109 से ही पूरा हो रहा है तो सर्वे क्रमांक 1121 वादी के नाम बनाने का कोई औचित्य नहीं था। जिसके संबंध में धारा—89 म0प्र0 भू—राज्य संहिता के तहत प्रतिवादीगण द्वारा कलेक्टर भिण्ड के यहां दुरूस्ती की कार्यवाही की गई है। जो जांच हेतु गोहद तहसीलदार को भेजी गई है जो प्रकरण क्रमांक 52/2012—13 बी—121 पर संचालित है।
- 6. अपीलार्थी / प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की ओर से अतिरिक्त आपित्त यह भी ली गई है कि प्रतिवादीगण के बंदोबस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 1558, 1559 एवं 1560 थे, जिसके बंदोबस्त के पश्चात नवीन सर्वे नंबर 1460 निर्मित किया गया है। जिसके उत्तर में वादी के बंदोबस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 1610 और 1611 थे। जिसके बंदोबस्त के बाद सर्वे क्रमांक 1109 बनाया गया है, जो सही है। परंतु सर्वे नंबर

1121 पश्चिम की तरफ है शासकीय सर्वे नंबर बदोबस्त के पूर्व नंबर 1561, 1562, 1563 एवं 1560 की भूमि को बनाकर गलत रूप से बना दिए गए है तथा वादी का नाम गलत सर्वे नंबर 1121 पर गलत रूप से लिखवा दिया गया है। बंदोबस्त में हुई गलत कार्यवाही को दुरूस्त कराने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है। धारा–257 म0प्र0 भू-राज्य संहिता के तहत व्यवहार न्यायालय में ऐसा वाद वर्जित है। उक्त आधारों पर वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

- प्रकरण में प्रतिवादी कमांक 03 म0प्र0 शासन औपचारिक पक्षकार 7. बनाया गया है। उसे विधिवत् तामील होकर वह प्रकरण की कार्यवाहियों में अनुपस्थित रहा है, उसकी ओर से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर विचारण न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किए गए तथा साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके समक्ष निम्नानुसार निष्कर्ष दिए गए:-

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या वादी विवादग्रस्त भूमि सर्वे कं. 1121 रकवा 0.50 स्थित ग्राम भगवासा परगना गोहद जिला भिण्ड का रिकार्डेड भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है ?	वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य है।
2. क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 द्वारा वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उपरोक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया है ?	त्र के तिहां। त्रिक्त
3. क्या क्या वादी का दावा न्यायालय में धारा—257 म0प्र0 भू—राज्य संहिता के प्रावधानों के प्रकाश में अप्रचलनशील है ?	नहीं।
4. क्या वादी का वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य होने के कारण और कब्जा वापसी की सहायता न चाहे जाने के कारण 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत वादी का दावा अप्रचलनशील है?	र्क्ष नहीं।
 सहायता एवं व्यय ? 	वाद सफल रहा है।

अपीलार्थी एवं प्रतिवादीगण की ओर से अपनी अपील में एवं अंतिम तर्क में यह आधार लिए हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्र0डी0-14 का राजस्व न्यायालय की आदेशपत्रिका प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार तथा प्र0डी0—16 वादी के मूल आवेदन के अनुसार प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा माना गया है। किसी भी सक्षम न्यायालय ने वादी को कब्जा दिलाए जाने का कोई आदेश नहीं किया है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है और वादी का विवादित भूमि पर आधिपत्य होना माना है। भूल सुधार हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की गई है। वादी ने स्वयं ही अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा—17 में स्वीकार किया है कि केवल सीमाओं का विवाद है। वादी के द्वारा कब्जा वापसी की सहायता नहीं चाही गई है। इसलिए वादी का वाद प्रचलन योग्य भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी विधि विधान एवं पन्नावली के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.07.15 को अपास्त करते हुए, अपील स्वीकार करते हुए वादी का वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

- 10. प्रत्यर्थी / वादी की ओर से यह व्यक्त किया है कि विचारण / अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद में वादप्रश्न क्रमांक 01 को निराकृत करते हुए उसका आधिपत्य मान्य करते हुए कोई भूल कारित नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय एवं डिकी विधि अनुरूप है। अपील निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।
- 1). इस अपील के विधिवत् निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:—
 - क्या वादी विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1121 रकवा 0.52 हेक्टे0
 स्थित ग्राम भगवासा परगना गोहद जिला भिण्ड का अधिपत्यधारी है
 - 2. क्या प्रतिवादी कमांक 01 व 02 द्वारा वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उपरोक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया ?
 - 3. क्या विचारण / अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.07.15 स्थिर रखे जाने योग्य है या निर्णय एवं डिकी में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार है ?

सकारण निष्कर्ष

- 12. इस अपील में अपीलार्थी / प्रतिवादीगण की ओर से आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा०दी० के प्रस्तुत किया है, जिसका निराकरण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
- 13. अपीलार्थी / प्रतिवादीगण की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि विवादित भूमि से संबंधित प्रकरण श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला भिण्ड के न्यायालय में प्रकरण कमांक 55 / 13—14—3—74 पर संचालित है। उक्त प्रकरण में कलेक्टर महोदय भिण्ड द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति की जांच रिपोर्ट एस.एल.आर. (अधीक्षक भू—अभिलेख भिण्ड) से जांच कर मंगाई थी। अधीक्षक भू—अभिलेख भिण्ड ने वास्तविक जांच कर रिपोर्ट कलेक्टर न्यायालय में संचालित प्रकरण में प्रस्तुत की है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए अतिआवश्यक व महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे साक्ष्य में ग्राह्य किए जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब प्रकरण साक्ष्य के स्तर पर था, तब यह दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। यह साक्ष्य के बाद का दस्तावेज है। उक्त आधार पर उक्त दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य किए जाने की प्रर्थना की गई है।
- 14. प्रत्यर्थी कमांक 01/वादी की ओर से लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया है कि कलेक्टर महोदय द्वारा प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया है। इसलिए प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता है। एस.एल.आर. से मिलकर प्रत्यर्थी/वादी की भूमि हड़पने के लिए गलत जांच प्रस्तुत की है। प्रतिवादी की साक्ष्य के समय बिना प्रत्यर्थी को सूचना दिए गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त जांच रिपोर्ट एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट में भारी विरोधाभास है। दस्तावेज एक वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है। सर्वे नंबर 1121 को इधर उधर खिसकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जबिक वादी व प्रतिवादीगण का रकवा पूरा है। उक्त आधार पर बाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।
- 15. उभयपक्ष को सुने जाने एवं प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि वादी की ओर से प्र0पी0-09 का आवेदन अंतर्गत धारा-250 म0प्र0 भू-राज्य संहिता का दिनांक 11.10.12 को तहसील

न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उसमें यह तथ्य है कि वादी रामजीलाल के सर्वे नंबर 1121 रकवा 0.52 हेक्टे0 के कुछ भाग पर अनावेदकगण द्वारा सीमाचिन्ह मिटाकर कब्जा कर लिया है। कब्जा दिलाए जाने की प्रार्थना की गई है।

- 16. वादी की ओर से ही प्रस्तुत प्र0पी0—05 की आदेश पत्रिका के अनुसार वादी ने यह व्यक्त किया है कि अनावेदगण द्वारा उसक सीमांकन छोड़ दिया है। जिसका आशय यह निकाला जा सकता है कि प्रतिवादीगण ने कब्जा छोड़ दिया है। परंतु प्रतिवादीगण ऐसा नहीं कहते हैं कि कब्जा छोड़ दिया है। इस मामले में प्रतिवादीगण से भूमि का कब्जा वादी को दिलवाया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। कोई कब्जे की रसीद भी नहीं है। वादी ने स्वयं ही उक्त आवेदन अंतर्गत धारा—250 म0प्र0 भू—राज्य संहिता के संबंध में प्रकरण नहीं चलाना व्यक्त किया है, जिससे कि प्रथम दृष्टि में ही प्रकट है कि प्रतिवादीगण का कब्जा भूमि पर है और वादी को उक्त कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है।
- 17. प्रतिवादीगण की ओर से बंदोबस्त भूल सुधार के लिए कलेक्टर भिण्ड के यहां प्रकरण प्रस्तुत करना बताया है, जिसके संबंध में अधीक्षक भू—अभिलेख के द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जिसमें उक्त विवादित सर्वे नंबरान 1121, 1122, 1460/1633 एवं 1460 के संबंध में बंदोबस्त एवं रकवे के अनुसार सीमाओं का संशोधन किए जाने का प्रतिवेदन दिया है उक्त प्रतिवेदन गलत है अथवा सही है यह गुणदोषों के प्रश्न है।
- 18. प्रतिवादीगण की ओर से प्र०डी०-08 के खसरे संवत् 2054 लगायत 2058 अर्थात 1993 लगायत 1997 की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई हैं। जिसमें सर्वे नंबर 1460 का रकवा 2.90 हेक्टे0 होना बताया है। प्र०डी०-01 राजस्व निरीक्षक द्वारा तहसीलदार को दी गई रिपोर्ट में यह रिपोर्ट दी गई है कि सर्वे क्रमांक 1121 के रकवे की नाम करने पर रकवा 0.45 आता है। इसमें सर्वे नंबर 1460 में से 0.27 रकवा आने से सर्वे नंबर 1121 का रकवा 0.45+0.27=0.72 हो जाता है। इसमें से 0.20 हेक्टे0 रकवा सर्वे नंबर 1460 में जाने से सर्वे नंबर 1121 का रकवा 0.50 रह जाएगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टि में यह स्पष्ट होता है कि उभयपक्ष के मध्य वास्तविक रूप से स्वत्व व आधिपत्य का विवाद

न होकर नक्शा में दुरूस्ती का विवाद है और राजस्व न्यायालय द्वारा ही इस विवाद का उचित निराकरण किया जा सकता है

- 19. अपीलार्थी के द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, वह कलेक्टर के समक्ष चल रही कार्यवाहियों के संबंध में जांच रिपोर्ट है, जो भूल सुधार के संबंध में है।
- 20. न्याय दृष्टांत मलयालम प्लांटेशन लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ केरला व अन्य ए आई आर 2011 एस सी 559 में मान्नीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आदेश 41 नियम 27 जा०दी० के तहत अतिरिक्त साक्ष्य निम्न तीन परिस्थितियों में ली जा सकती है:—
 - 1. यद्यपि जो साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने की अनुमित दी जाना चाहिये थी, विचारण न्यायालय द्वारा अवैध रूपसे उक्त साक्ष्य को लेने से इंकार कर दिया गया हो।
 - पक्षकारों के अथक परिश्रम के बावजूद भी उक्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुई थी।
 - 3. वह साक्ष्य जो अपील कोर्ट को निर्णय घोषित करने योग्य बनती है और आवश्यक थी अर्थात इन्हीं प्रकार का कोई सारभूत कारण रहा हो।

अपील कोर्ट को लैकुना पूर्ति या केस के कमजोर बिन्दुओं की पूर्ति के लिये अतिरिक्त साक्ष्य नहीं लेना चाहिये। अपील कोर्ट को उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में कंसीडर करना चाहिये एवं फैसला लेना चाहिये। वही दूसरी ओर उपरोक्त तथ्यों व निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुये उसकी प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुये अपील निराकृत करना चाहिये।

21. इस संबंध में अपीलार्थीगण के आवेदन एवं प्रस्तुत दस्तावेज पर विचार किए जाने पर स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज अपीलार्थी / प्रतिवादीगण के समक्ष उनकी साक्ष्य दिनांक 24.06.15 को समाप्त किए जाने के समय नहीं था क्योंकि यह दस्तावेज दिनांक 12. 04.16 का है अर्थात साक्ष्य सामाप्ति एवं निर्णय दिनांक 30.07.15 के पश्चात का है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उस समय यह दस्तावेज अस्तित्व में नहीं था। उक्त दस्तावेज के संबंध में अपीलार्थी को साक्ष्य

का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण उक्त दस्तावेज के संबंध में न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना तथा उक्त दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना करने के पश्चात निर्णय घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

- 22. उक्त दस्तावेजों के परिपेक्ष्य में पक्षकारों के बीच न्यायिक निराकरण करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता इस न्यायालय को प्रतीत हो रही है। अतिरिक्त साक्ष्य का लिया जाना किसी लेकूना पूर्ति या किसी कमजोरी की पूर्ति के लिए लिया जाना प्रकट नहीं हो रहा है क्योंकि वास्तव में उभयपक्ष के मध्य स्वत्व का कोई विवाद ही नहीं है। अपितु बंदोबस्त के पश्चात बने हुए सर्वे नंबर में और नक्शे में रकवे का विवाद है। किसी त्रुटि के रहते हुए किसी प्रकार का आदेश व्यवहार न्यायालय द्वारा दिया जाना भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा०दी० स्वीकार कर उक्त अधीक्षक भू—अभिलेख भिण्ड की जांच रिपोर्ट दिनांकित 12.04.16 की प्रमाणित प्रतिलिपि अभिलेख पर ली गई।
- 23. उक्त दस्तावेज विचारण न्यायालय के समक्ष विवेचना किए जाने से रह गया है, जिसके संबंध में अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, बिना इस दस्तावेज के यदि उसके संबंध में बिना साक्ष्य के तथा प्र0पी0—05 एवं प्र0पी0—09 पर ध्यान न देते हुए विचारण/अधीनस्थ न्यायलय ने जो निर्णय दिया है तथा डिकी पारित की है, वह उपरोक्त कारण से हस्तक्षेप किए जाने योग्य है। इस कारण उक्त आलोच्य निर्णय एवं डिकी हस्तक्षेप किए जाने योग्य है।
- 24. इस मामले में उपरोक्तानुसार अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना तथा दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना करने के पश्चात निर्णय ह गोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से उक्त आलोच्य निर्णय/डिकी दिनांक 30.07.15 को अपास्त किया जाता है। अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।
- 25. यह प्रकरण विचारण / अधीनस्थ न्यायालय की ओर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विचारण / अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में विधिवत् उभयपक्ष की अतिरिक्त

साक्ष्य ले तथा उन्हें खण्डन का अवसर दे, पूर्व में प्रस्तुत साक्ष्य एवं अतिरिक्त साक्ष्य की पुनः विवेचना करते हुए प्रकरण में पुनः निर्णय करे। प्रस्तुत किए गए दस्तावेज की स्वप्रमाणित फोटोप्रति अपीलार्थीगण प्रस्तुत करें, जो इस अपील प्रकरण में संलग्न की जावें। दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि जो अपील में प्रस्तुत की गयी है, वह मूल व्यवहार वाद के मूल अभिलेख के साथ विचारण न्यायालय की ओर प्रेषित की जावे।

- उभयपक्ष दिनांक 27.09.17 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 26. आवश्यक कार्यवाही हेतु उपस्थित रहें।
- इस अपील का व्यय उभयपक्ष अपना–अपना वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क 750 / – रूपए लगाया जावे।
- इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल 28. 🔌 अभिलेख वापस किया जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर) A STANDARD FOR THE STAN द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड